राज्य सरकार अन्नदाता को बना रही है ऊर्जादाता-मुख्यमंत्री भजनलाल

■ केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान सरकार कृषक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है।

पीएम फसल बीमा योजना में देश भर के 34 लाख लाभांवित किसानों में 9.70 लाख राजस्थान से

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम राशि जारी की और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक भी वितरित किए।

झुंझुनूं/जयपुर, 11 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान भारत की आत्मा है। हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा कृषि का रोड मैप बनाते हुए वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसानों को दिन में बिजली जैसी सौगातों से किसानों को राहत मिली है। चौहान सोमवार को झुंझुनूं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा क्लेम भुगतान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति करता है, जब वह आत्मनिर्भर होता है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, 7 करोड़ 4 लाख फसल बीमा पॉलिसी की जा चुकी हैं, जो गत सरकार के शुरुआती 2 वर्षों से लगभग 4 गुना अधिक हैं। साथ ही, 1 करोड़ 48 लाख किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, जिससे अन्नदाता किसान ऊर्जादाता भी बन सकेगा। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही, एमएसपी में निरंतर वृद्धि की जा रही है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने किसान हित में बड़े निर्णय किए हैं।

इस दौरान केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री चौहान तथा मुख्यमंत्री शर्मा ने बटन दबाकर रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चैक भी वितरित किए गये। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देशभर में 34 लाख 48 हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिनमें प्रदेश के 9 लाख 70 हजार किसान भी शामिल हैं। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य किसान आयोग अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित, कई नेता व अफसर मौजूद थे।

विपक्ष ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, कि नरेन्द्र मोदी कैसे "वोट चुराकर" चुनाव जीत रहे हैं, ने विपक्षी नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को पटरी से उतारने की साजिश का हिस्सा बताया गया है, और यह संदेश आम जनता तक पहुँच चुका है। राहुल गांधी का यह कहना है कि सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा कर लिया है, अब केवल जनता का वोट ही बचा है, और वह भी छीना जा रहा है। अब वह 17 अगस्त से 15 दिनों की यात्रा पर बिहार जा रहे हैं , जहां वे इस नैरेटिव को लेकर एनडीए को चुनौती देने की रणनीति पर काम करेंगे।

"यह आंकड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हालत देखिए, 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है – आप नहीं मिल सकते। क्योंकि चुनाव आयोग को सच से डर लगता है।" उन्होंने दोहराया कि यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं, बल्कि संविधान को बचाने की है। उन्होंने आगे कहा, "यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान कहता है, एक व्यक्ति, एक वोट। हमने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि अब 'एक व्यक्ति-एक वोट' की अवधारणा नहीं रही। देश के युवाओं को यह सच्चाई पता चल चुकी है। अब चुनाव आयोग के लिए इसे छुपाना मुश्किल है।"

एस.आई. पेपर लीक :

पुलिस लाइन से रवानगी करा कर फरार हुआ रविन्द्र सैनी

■ एस.ओ.जी. एस.आई. सैनी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है। उनका फोन लगातार बंद आ रहा है।

जयपुर, 11 अगस्त। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा (एसआई)2021 पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव की गिरफ्तारी के बाद सीकर पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर (एसआई) रविंद्र सैनी फरार हो गया और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। जानकारी के अनुसार, सब इंस्पेक्टर (एसआई) रविंद्र सैनी को एसओजी ने छह अगस्त को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद सीकर पुलिस लाइन से रवानगी लेकर वह फरार हो गया।

एसओजी उसकी तलाश में अलग-अलग जगह दबिश भी दे रही है। उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा (एसआई) में झुंझुनूं निवासी रविंद्र सैनी ने 156 वीं रैंक हासिल की थी। पिछले करीब 6 महीने से वह सीकर में पोस्टेड था।

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि एसआई रविंद्र सैनी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन से रवानगी करवाई। लेकिन वह अब तक एसओजी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ। बता दें कि भर्ती परीक्षा में चयनित 13 एसआई पुलिस लाइन सीकर में पोस्ट हुए थे। हालांकि इन्हें कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई।

गौरतलब है कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा (एसआई) 2021 भर्ती परीक्षा मामले में पीएसओ राजकुमार यादव की गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने बेटे भरत के लिए कुंदन कुमार से पेपर खरीदा था। बाद में रविंद्र के पिता ने राजकुमार से यह पेपर खरीदा था। राजकुमार ने सतेन्द्र को भी पेपर बेचा था। सतेन्द्र ने ही पूछताछ में सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव का नाम लिया था। राजकुमार यादव और रविन्द्र सैनी, दोनों को ही एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। रविन्द्र ने राजकुमार यादव से पूछा तो उसने ही रविन्द्र को फरार होने की सलाह थी।

गंगोत्री में बनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

झेलनी पड़ रही है। धराली की तबाही के बाद अब ऐसी स्थितियों ने स्थानीय लोगों को एक बार फिर चिंतित कर दिया है। दरअसल, धराली में गंगोत्री के पास बनी एक झील से पानी आ रहा है। इस पानी के कारण जगह-जगह जलभराव की हालत है।

गत 15 सालों से अनुबंध की धज्जियां उड़ा रहे मेट्रो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाया। दोनों कम्पनियों को एक तयशुदा बैंक में 'एस्क्रो अकाउण्ट' बनाना था, जिसमें अस्पताल की आय को जमा करना था, ताकि अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार के वित्तीय हितों को बचाया जा सके और राजस्व साझेदारी की निगरानी व निरीक्षण भी किया जा सके, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

नोटिस में यह भी बताया गया है कि अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करते हुए 'थर्ड पार्टी' जांचकर्ता (ऑडिटर) को भी वित्तीय जांच नहीं करने दी और वित्तीय 'रिकॉर्ड', 'डेली स्टेटस रिपोर्ट' और अन्य वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए गये। साथ ही ये कम्पनियाँ मुम्बई स्थित 'एटोमिक एनर्जी रेगूलेरिटी बोर्ड', (एईआरबी) से महत्वपूर्ण लाईसेंस और मंजूरियां भी प्राप्त नहीं कर पायीं। नोटिस के अनुसार दोनों कम्पनियों ने आवश्यक बीमा कवर सुचारू नहीं रखा।

इस नोटिस में एस.एम.एस. प्राचार्य ने बताया कि वर्ष 2020 में 'मेट्रो इंस्टियूट ऑफ मेडिकल साइसेंज प्राइवेट लिमिटेड' ने राजस्थान सरकार के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। ष

इस याचिका में कम्पनी द्वारा अदालत से गुहार की गई थी, कि पहली तो यह कि बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों के उपचार से सम्बन्धित अनुबंध की शर्तों को बदला जाए। दूसरी यह कि कम्पनी को राज्य सरकार के कर्मचारियों का उपचार सी.जी.एच.एस. की दरों पर करने की अनुमति दी जाए, न कि राज्य सरकार द्वारा दी गई दरों पर।

तीसरी यह कि कम्पनियों को अनुबंध के अनुसार दी गई सम्भावित आय पर राज्य सरकार को शुल्क (कंसेशन फीस) देने की दर में बदलाव करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 7, अक्टूबर, 2020, आदेश दिए थे कि राज्य सरकार इस मामले की अगली सुनवाई पर कम्पनियों के खिलाफ केवल 'कंसेशन फीस' देने के मामले में दण्डात्मक कार्यवाही न करे।

एस.एम.एस. अस्पताल के प्राचार्य ने अपने नोटिस में कहा कि कम्पनियों द्वारा बार-बार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने के कारण उन्हें यह नोटिस दिया जा रहा है और हिदायत दी जा रही है कि 'बैंक अकाण्ट्स' और अन्य दस्तावेज अनुबंध अनुसार नोटिस मिलने के 7 दिन में मुहैया कराएं। नोटिस में कहा गया है कि अगर नोटिस मिलने के 7 दिन के अन्दर सरकार के साथ किए गए अनुबंधों की सभी शर्तों को लागू नहीं किया गया तथा त्रुटियों को दूर नहीं किया गया तो राज्य सरकार व एस.एम.एस. अस्पताल कानून अनुसार कार्यवाही करेगा और अनुबन्ध कर दिया जायेगा।

चुनाव आयोग के दफ्तर से एक किलोमीटर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बना हुआ था। उन्होंने बिहार में एस आई आर प्रक्रिया के खिलाफ नारेबाज़ी की। वे अपने हाथों में तख्तियां एवं बैनर लिए हुए थे।

संसद के मकर द्वार से मार्च शुरू करने से पहले सांसदों ने राष्ट्रगान गाया।

पुलिस ने पहले से ही भारी बंदोबस्त कर रखा था और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ट्रांसपोर्ट भवन के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिये थे। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए सांसदों को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी और उन्हें चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर जाने से रोक दिया गया, जो संसद भवन से थोड़ी ही दूरी पर है। इस मार्च में शामिल प्रमुख नेताओं में द्रमुक के टी.आर. बालू, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के अलावा, द्रमुक, राजद और वाम दलों के अन्य सांसद भी थे।

प्रदर्शनकारी सांसदों के सबसे आगे वाले बैनर पर लिखा था, एस आई आर प्लस वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या। विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों के एक अन्य बैनर में लिखा था, एस आई आर लोकतंत्र पर वार।

चुनाव आयोग तथा सरकार के बीच मिलीभगत के आरोप वाले पोस्टरों के अलावा, कई सांसद "एस आई आर पर चुप्पी क्यों" लिखे पोस्टर लिए हुए थे।

कई सांसदों ने वोट चोरी के आरोपों वाले पोस्टर भी उठाए थे, जो राहुल गांधी द्वारा लगाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इससे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी थी, ताकि एस आई आर और अन्य मुद्दों पर आयोग के साथ चर्चा की जा सके।

चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में रमेश ने इस मार्च की सूचना देते हुए लिखा था, इसके बाद, सांसद चुनाव आयोग से सामूहिक रूप से मिलना चाहते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, जिनमें बिहार में चल रही, तथा अन्य राज्यों के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया भी शामिल है।

उन्होंने आगे लिखा, हम आयोग के साथ मीटिंग को लेकर काफी आशान्वित हैं। यह मीटिंग हमारी संसदीय परंपरा के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होगी।

'श्री सीमेंट को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नोटिस 'फेसलैस एसेसिंग ऑफिसर' (गोपनीय मूल्याकंन ऑफिसर) ने नहीं दिया था, सहायक आयुक्त आयदाता एक-दूसरे को जानते थे और यह नोटिस एक सर्वे के बाद दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908